न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/50/17

श्री अकरम उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत घाटमिका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर (द्वितीय) जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 6–7–2017 प्रकरण संख्या 29/2017

निर्णय दिनांक 7.11.2017

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 6.7.2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया जाकर जमा प्रतिभूमि राशि 1000/– रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद गलत हैं। तहत न्यायालय में प्रार्थी ने कारण बताओं नोटिस का जबाब पेश किया गया था। तहत न्यायालय ने प्रार्थी के जबाब एवं तीन उपभोक्ताओं के प्रस्तुत शपथ पत्र इरसाद इकबाल एवं खुर्शीद को कन्सीडर नहीं किया गया और इकतरफा में आरोपों को बिना किसी ठोस आधार के सिद्व माना गया है जो गलत है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय ने यह नही बताया कि प्रार्थी के विरुद्व अनियमितताओं को किस साक्ष्य के आधार पर सिद्व माना गया और प्रार्थी के जबाब को किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टि से कोई भी नियम तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्व हो जावें। प्रस्तुत शपथ पत्रों के बारे में विधिवत कोई जांच तहत न्यायालय ने नहीं की हैं। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट का कोई हवाला तहत न्यायालय की आर्डरसीट पर नहीं है। उनका कहना है कि तहत पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक पहाडी श्री अशोक कुमार योगी ने जो कथित रिपोर्ट पेश की गई है उसमें में इरसाद, इकबाल एवं खुर्शीद से शिकायत के बारे दुरभाष पर जॉच करना/बात करना अंकित किया है, दुरभाष पर की गई ऐसी जांच न्यायिक प्रकिया में नहीं मानी जा सकती है। अपीलार्थी को भी जिरह एवं साक्ष्य का मौका दिये बिना इकतरफा में आदेश पारित किया गया है। जबकि

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर(राज0)

Scanned by CamScanner

तीनों शिकायतकर्ताओं ने पूरा गेंहू प्राप्त करने का शपथ पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। बिना किसी आधार विधिवत जांच किये केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर शपथ पत्रों को झुठा माना गया है, जो गलत है। उनका यह भी कहना हैं कि प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि कभी कभी उपभोक्ता सामग्री के पूरे पैसे लेकर नही आता है ऐसी स्थिति में उसे उस समय जितने पैसे देता उसके अनुसार सामग्री दे दी जाती है। पैसे लेकर आने पर शेष सामग्री भी दे दी जाती है। अपीलान्ट के खिलाफ किसी प्रकार गबन या कालाबाजारी करने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को आर्डर सीट पर नहीं लिया जिस से प्रार्थी को रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी और नाही अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलार्थी ने सामग्री का विधिवत वितरण किया है। तहत न्यायालय ने निर्णय में शिकायतकर्ता इकवाल की बल्दियत गलत दर्ज होने के आधार पर शपथ पत्र को गलत बताया है जब कि उनका कहना है कि कथित शपथ पत्र में सहवन से इकवाल की बल्दीयत सौकत मेव दर्ज हो गई थी, जब कि इकवाल वही है जिसकी इकवाल पुत्र आसन जाति मेव है फार्म न.3 के साथ शपथ पत्र पेश किया गया। योग्य अभिभाषक ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलाधीन सही पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की विधिवत जॉच रिपोर्ट ली गई है। जो तहत पत्रावली में उपलब्ध है। जॉच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने शिकायत को सही बताया और डीलर द्वारा गेंहू नहीं दिया जाना बताया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध सत्य प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर आदेश दिनांक 21.8.2017 एसबी सिविल रिटपिटीसन नम्बर 13401 / 2017 में अपील को एक माह में निस्तारण किये जाने की आज्ञा दी गई है। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 2.2.2017 का अवलोकन किया गया । उक्त जॉच रिपोर्ट में प्रवर्तन निरीक्षक से स्पष्ट है जो जॉच की गई है वह तीनों परिवादी से दूरभाष पर पूछ जांच की गई है। ऐसी जॉच को विधिक प्रकिया के तहत की गई जॉच नहीं माना जा सकता है। जब कि तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट दिनांक 2.2.2017 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जब कि जॉच अधिकारी को विधिवत पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाने चाहिये थे। उपभोक्ता पोस मशीन पर अपना अगुंठा निशानी लगान कर समाग्री प्राप्त करते हैं। यहॉ यह उल्लेखनीय है जॉच अधिकारी ने वक्त जॉच डीलर को भी बुलाकर उसका परीक्षण कराना चाहिये था इस प्रकार सारी जांच इकतरफा की गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

.....3

Scanned by CamScanner

न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किया जाना चाहिये। डीलर द्वारा दिये गये जवाब एवं शपथ पत्रों को मध्यनजर पृथक–पृथक बिन्दु पर विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः निर्णय लिये जाने जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 6–6–2017 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण का परीक्षण करें। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 7–11–2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Scanned by CamScanner